रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 28, 2000/चैत्र 8, 1922
No. 194] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 28, 2000/CHAITRA 8, 1922

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2000

(आय-कर)

का.आ. 279(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 54ङक. की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित बंधपत्रों को दीर्घकालीन विनिर्दिष्ट बंधपत्रों के रूप में उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करता है, नामश :—

(1) सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के अन्दर मैसर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटिड जिसका पंजीकृत कार्यालय महिन्द्रा टावर्स, चौथी मंजिल, डा. जी. एम. भोसले मार्ग, वोर्ली, मुंबई में है, द्वारा जारी किए जाने वाले 50 (पचास) करोड़ से अनधिक राशि के बंधपत्र।

बशर्ते कि कर निर्धारिती द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट बंधपत्रों में निवेश उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार दीर्घकालीन पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उद्भूत होने वाले निवल प्रतिफल में से किया जाता हो।

बशर्ते यह भी कि यदि कर निर्धारिती इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसको आवंटित बंधपत्र को उनके आवंटन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी तरीके से मुद्रा में अन्तरित अथवा परिवर्तित (अन्तरण के अलावा अन्यथा) करता है तो कर निर्धारिती द्वारा ऐसे बंधपत्रों में किया गया आरंभिक निवेश उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार "पूंजीगत अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत कर प्रभार्य होगा।

[अधिसूचना सं. 11287/फा. सं. 178/62/99-आईटीए-I]

मोना एम. वर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2000

(INCOME TAX)

S. O. 279(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 54EA of the Income Tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby specifies the following bonds as long-term specified securities for the purposes of the said section, namely :—

(i) bonds to be issued within a period of one year from the date of publication of the notification in the Official Gazette, of an amount not exceeding rupees 50 (fifty) crores by M/s. Infrastructure Leasing & Financial Services Limited having its registered office at Mahindra Towers, 4th Floor, Dr. G. M. Bhosale Marg, Worli, Mumbai.